



मधुबनी में अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आंकलन

अमर कुमार

भूगोल विभाग ए आर० के० कॉलेज मधुबनी, (बिहार)

Abstract

यह शोध पत्र व भन्न सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों से प्राप्त वृत्तीय सहायता के आलोक में मधुबनी की अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आंकलन और अध्ययन करने का प्रयास करता है। बिहार को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है और संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके 100 परिवारों के बीच सर्वेक्षण किया गया। परिणाम से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों ने मुख्य रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत व भन्न वृत्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई वृत्तीय सहायता का लाभ लेना शुरू किया गया है ताकि वे अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ा सकें और अपने सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार कर सकें। यह अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि कुल मिलाकर, बिहार जिले के मधुबनी में जनजाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में आंशिक विकास हुआ है।

1. परिचय

भारतीय संवधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों को “उन जनजातियों या समुदायों या ऐसे जनजातियों या जनजातीय समुदायों के समूहों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत इस संवधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाता है”। एल. पी. वर्धार्थी के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है, जिसमें निश्चित क्षेत्र, सामान्य नाम, सामान्य वंश, सामान्य संस्कृति, एक अंतःसंयोजक समूह का व्यवहार, सामान्य वर्जनाएं, व शष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व और नेताओं में पूर्ण विश्वास और उनके अलग होने में आर्थिक आत्मनिर्भरता है (वर्धार्थी, 1981)। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोग अपने आदिम लक्षणों, व शष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क के शर्मीलेपन और पछड़ेपन के कारण अन्य समुदायों से अलग हैं। ऐतिहासिक रूप से, आजादी के बाद भी, अनुसूचित जनजाति के लोग व भन्न लाभों से वंचित रहें हैं और यह भारतीय संवधान में भी अच्छी तरह से माना गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करके सामाजिक न्याय का प्रावधान है। जनजातीय आबादी भारत की जनसंख्या के सबसे कमजोर वर्ग



को पारिस्थितिक, सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पहलुओं से जोड़ती है। वे मुख्य रूप से राष्ट्र में व्यापक गरीबी का एक बड़ा हिस्सा हैं। इसका कारण यह है कि वे सदियों से कई नागरिक सुवधाओं से शोषित और व्यावहारिक रूप से वंचित हैं। ब्रिटिश सरकार ने कस्बों और गांवों में आदिवासी आबादी के उत्थान के लिए कुछ सुवधाएं प्रदान कीं जैसे कि शिक्षा, परिवहन, संचार, चिकित्सा आदि। लेकिन ये सुवधाएं अपर्याप्त थीं और मुख्य रूप से निहित स्वार्थ के साथ थीं। हालांकि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने उनके उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं और उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ा है। 2011 की अनुसूची में भारत की सबसे हालिया जनगणना के अनुसार जनजातियों में 8.6 जनसंख्या शामिल है।

2. भारत में अनुसूची क्षेत्र

भारत की कुल जनजातीय आबादी 8.6 प्रतिशत है (भारत की जनगणना, 2011)। भारत में 550 से अधिक आदिवासी समुदाय निवास कर रहे हैं, जिनमें से 75 को आदिम जनजाति समूह के रूप में घोषित किया गया है जो पूरे देश में फैले हुए हैं। आदिवासी आबादी की पहचान हमारे देश के मूल निवासियों के रूप में की जाती है। उन्हें भारत के लगभग हर राज्य में देखा जाता है। सदियों से, वे प्राकृतिक वातावरण के आधार पर एक साधारण जीवन जी रहे हैं और अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के लिए सांस्कृतिक स्वरूप विकसित किया है। ऐसे आदिवासी समूहों के संदर्भ प्राचीन काल में रामायण और महाभारत काल के साहित्य में भी मिलते हैं।

राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, भारत (1981-2011)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
असम	-	12.82	12.4	12.4
मणिपुर	27.3	34.41	34.2	35.1
मेघालय	80.58	85.53	85.9	86.1
नागालैंड	83.99	87.7	89.1	86.5
त्रिपुरा	28.44	30.95	31.1	31.8
अरुणाचल प्रदेश	69.82	63.66	64.2	68.8
सिक्किम	23.27	22.36	20.6	33.8
मिजोरम	93.55	94.75	94.5	94.4
उत्तरी				
हिमाचल प्रदेश	4.61	4.22	4	5.7
उत्तर प्रदेश	0.21	0.21	0.1	0.6
केंद्रीय				
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	22.97	23.27	20.3	21.1
पश्चिमी				



गुजरात	14.22	14.92	14.8	14.8
महाराष्ट्र	9.19	9.27	8.9	9.4
राजस्थान	12.21	12.44	12.6	13.5
दादरा और नगर हवेली	78.82	78.99	62.2	52
गोवा	0.99	0.03	0	10.8
दमन और दीव	-	11.54	6.3	6.3
दक्षिणी				
आंध्रप्रदेश	5.93	6.31	8.8	6.3
केरल	1.03	1.1	1.1	1.5
कर्नाटक	4.91	4.26	6.6	7
तमिलनाडु	1.07	1.03	1	1.1
द्वीप				
अण्डमान और निकोबार	11.85	9.54	8.3	7.5
लक्षद्वीप	93.82	93.15	94.5	94.8

स्रोत: जनगणना रिपोर्ट 2011

समाज में प्रमुख समस्या यह है कि जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता बहुत कम या अनुचित है। सरकार ने अनुचित जनजाति के लोगों के लिए कई लाभकारी योजनाएँ शुरू की हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण, ये योजनाएँ उन तक नहीं पहुँच पाएंगी। समाज में आय और स्थिति के अनुचित स्रोत के कारण, यहां तक कि बैंक इन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करने में संकोच करते हैं। भारत के आदिवासी समुदायों के संदर्भ में आर्थिक समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपलब्ध शोध अध्ययन बताते हैं कि जनजातीय आबादी का वंशस्व स्वास्थ्य, पागलपन की स्थिति, अज्ञानता, इन वजहों से अनुचित जनजाति के लोग कुपोषण और संक्रमण रोगों के तहत “गरीबों की बीमारियों” का बोझ उठाते हैं। वे मुख्यधारा के द्वारा नियंत्रित, दबाये हुए और शोषित हैं। छत्तीसगढ़ में अनुचित जनजातियों के पास बुनियादी सुविधाओं की कमी है और राज्य में आदिवासी लोगों के वंशस्व पहलुओं से संबंधित समस्याएँ हैं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, धर्म, कानून और व्यवस्था की स्थिति, स्व-केंद्रित प्रवृत्ति और इसी तरह की अनेक समस्याएँ हैं, और उन्हें सरकार से अल्प सुविधाएं मंलीं, क्योंकि सरकारी योजनाएं आमतौर पर औसत जिले या गांव के लिए वकसत या बनायीं जाती हैं, जो वास्तविकता से सम्बंधित नहीं हैं जब अनुचित जनजातियों के सम्बन्ध में बात की जाती है।



3. अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध का उद्देश्य व भन्न सरकारी योजनाओं के तहत मधुबनी जिले के अनुसूचित जनजाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन और अध्ययन करना और व भन्न योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का आंकलन करना है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि सरकारी योजनाएँ केवल कागज के पन्नों में समेट के रह जाती हैं और अनुसूचित जनजातियों तक पहुँच भी नहीं पाती है। इसका एक मुख्य कारण अशिक्षा और जनजातियों के मध्य जानकारी का अभाव है।

4. शोध प्रावधान

इस शोध का मुख्य उद्देश्य मधुबनी जिले में अनुसूचित जनजाति के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकलन करना है और विकासखंड का चुनाव अध्ययन क्षेत्र के रूप में किया गया है। व भन्न शासकीय योजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन के बारे में पश्चिमक आंकड़ों के संकलन हेतु एक स्व-संरचित प्रश्नावली तैयार की गयी तथा अध्ययन क्षेत्र के 100 अनुसूचित जनजाति परिवारों का चुनाव सुवधा प्रतिचयन प्रणाली के माध्यम से अध्ययन के प्रतिचयन के रूप में किया गया। व भन्न सरकारी योजनाओं के कारण उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बदलाव का आकलन करने के लिए प्रतिचायनित परिवारों के मध्य साक्षात्कार आयोजित करके प्राथमिक समंको का संकलन किया गया है। एकत्र किए गए समंकों को 21.0 में सारणीबद्ध कर विश्लेषण किया गया है।



5. समंको का वश्लेषण

ता लका 1: उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय वर्णन

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
लिंग		
पुरुष	64	64
महिला	36	36
आयु		
20 साल से कम	12	12
21-30 वर्ष	51	51
31-40 वर्ष	16	16
41-50 वर्ष	11	11
50 वर्ष से ऊप	10	10
शिक्षा		
अशिक्षित	42	42
प्राथमिक	30	30
10वीं तक	19	19
12वीं तक	7	7
स्नातक स्तर	2	2
व्यवसाय		
कृषि	83	83
निजी कर्मचारी	5	5
दैनिक मजदूर	10	10
अन्य	2	2
आय		
रु 5000 से कम	30	30
रु 5, 001 – 10, 000	44	44
रु 10, 001 – 15, 000	16	16
रु 15, 001 से अधिक	10	10

ता लका 1में प्रतिचयानित उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय वर्णन प्रस्तुत कया गया। यह पाया गया क उत्तरदाताओं में से अ धकांश पुरुष (64) थे, जब क महिला उत्तरदतायें लगभग 36 है, जो की पुरुष वर्ग के



प्रभुत्व को दर्शाता है। यह देखा गया कि उत्तरदाताओं का 5121-30 वर्ष की आयु वर्ग है, उत्तरदाताओं का 1631 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में आता है, उत्तरदाताओं का 1220 वर्ष से कम आयु वर्ग के अंतर्गत आता है, 11 उत्तरदाताओं की आयु 41-50 आयु वर्ग के हैं, 10 उत्तरदाता 50 वर्ष आयु के ऊपर से हैं। उत्तरदाताओं को योग्यता के अनुसार पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक और अशिक्षित। तालिका 1 के अनुसार उत्तरदाताओं का 42 अंश निरक्षर स्तर पर है, 30 उत्तरदाताओं ने अपना प्राथमिक विद्यालय स्तर पूरा कर लिया है। उत्तरदाताओं के 19 ने अपना 10 वीं पूरा कर लिया है, उत्तरदाताओं के 7 ने अपना 12 वीं स्तर पूरा कर लिया है और डीग्री स्तर पर उत्तरदाताओं का स्तर केवल 2 है। यह भी पाया गया कि उत्तरदाताओं का 83 कृषि व्यवसाय हैं, उत्तरदाताओं का 10 दैनिक वेतन श्रेणी में आता है, उत्तरदाताओं का 5 निजी कर्मचारी हैं, 2 उत्तरदाता अन्य श्रेणी के हैं। यह भी पाया गया कि 30 उत्तरदाताओं की मासिक आय 5,000 से नीचे, 44 उत्तरदाताओं की मासिक आय रुपये 5001-10000 के बीच है, 16 उत्तरदाताओं की मासिक आय 10001-15000 है, और केवल 10 उत्तरदाताओं की मासिक आय सीमा 15001 रुपये से ऊपर है।

तालिका 2: अधिग्रहित भूमि का आकार

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1 एकड़ से कम	30	30
2 से 3 एकड़	53	53
3 से 4 एकड़	10	10
4 एकड़ से ज्यादा	7	7

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में से 53.0 प्रतिशत के पास 2 से 3 एकड़ भूमि है, 30.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 1 एकड़ से कम भूमि है और 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 3 से 4 एकड़ भूमि है। केवल 7.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 4 एकड़ से अधिक है।

तालिका 3: सरकार से वित्तीय सहायता योजनाएं

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	90	90
नहीं	10	10



उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 90 उत्तरदाताओं को बैंकों से व भन्न सरकारी योजनाओं के तहत वत्तीय सहायता मली है, जब कि 10 उत्तरदाताओं को उपलब्ध सरकारी योजनाओं के तहत बैंक से कोई वत्तीय सहायता नहीं मली है।

तालिका 4: वित्तीय संस्थानों का विवरण

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
को-ऑपरेटिव बैंक	53	53
निजी बैंक	17	17
एसबीआई और राष्ट्रीयकृत बैंक	24	24
अन्य संस्थान	6	6

उपरोक्त तालिका से पाया गया कि 53.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सहकारी बैंकों से तथा 24.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एसबीआई और राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है, 17.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निजी बैंक से ऋण प्राप्त किया है और 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एनी बांको से ऋण प्राप्त हुआ है।

तालिका 5: ऋण का उद्देश्य

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
स्व रोजगार	7	7
कृषि	85	85
व्यापार	5	5
अन्य लोन	3	3

उपरोक्त तालिका से, यह पाया गया कि 85% उत्तरदाताओं ने कृषि उद्देश्यों के लिए बैंक से ऋण लिया है, वहीं 7% उत्तरदाताओं ने स्वरोजगार के लिए, 5% ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए और 3% उत्तरदाताओं ने अन्य उद्देश्यों की पूर्ती हेतु ऋण प्राप्त किया है।

6. निष्कर्ष

बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक का चुनाव अध्ययन क्षेत्र के रूप में कर के अनुसूचित जनजाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। उपरोक्त प्रस्तुत विश्लेषण से



यह पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग व भन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक होने लगे हैं और इन योजनाओं का लाभ अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लेना शुरू कर दिया है। कृषि इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय और फसल उत्पादन बढ़ाने के हेतु बेहतर कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के लोग व भन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं जो कि उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। इन वित्तीय सहायता के कारण लोग अब अपने फसल उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम होने लगे हैं, और कृषि उत्पादन से होने वाले लाभ से अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर कर रहे हैं। बेहतर आर्थिक स्थिति लोगों के जीवन स्तर के उन्नयन और समग्र विकास की ओर ले जाती है। हालांकि उत्तरदाता निरक्षर हैं, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा का लाभ उठाएं। सरकार द्वारा परिवहन सुविधा एवं बस सुविधा भी प्रदान की जाती हैं। इससे पता चलता है कि सरकार ने जनजातीय लोगों की परिवहन सुविधा के विकास में बहुत रुचि दिखाई है। परिवहन सुविधा के संबंध में, आदिवासियों के विकास के लिए शिक्षा और सरकारी उपायों ने अपना महत्व बनाया है और यह जनजातीय लोगों तक पहुंच गया है जो कि वास्तव में प्रशंसनीय है। पहले आदिवासियों को ऋण देने में बैंक संस्थान कोई रुचि नहीं दिखाते थे पर व भन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अब वित्तीय संस्थान भी अनुसूचित जनजातियों को ऋण प्रदान करने लगे हैं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड में जनजाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में एक आंशिक विकास हुआ है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. वरियर एल्विन समिति (1960) "आदिवासी विकास कार्यक्रमों पर अध्ययन दल की रिपोर्ट", भारत सरकार नई दिल्ली एओ, समिति
2. रॉय बर्मा (1978), "भूमि अलगवाव की भावना-ए जनजातीय अर्थव्यवस्था जनजाति, वॉल्यूम, एक्स, संख्या 4, 1978।
3. फेंडर थाकर (1986), "भारत में जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास", दीप और दीप पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1986।
4. कुन्हामन, एम. (1982), "केरल की जनजातीय अर्थव्यवस्था: एक अंतर प्रतिगामी विश्लेषण", नई डी, 1982।
5. दुल्ज (1962), "केरल के जनजाति फरतिया सेवा शहरा", 1992।
6. बखशी और करण बेलर (2000), "सामाजिक और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास", दीप और दीप प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। नई दिल्ली, 2000



7. शर्मा. ए. एन (2002), आदिवासी कल्याण और वकास, अरूप एंड संस, नई दिल्ली।
8. डॉ. सुजाता कन्नूगो (2010), ट्राइबल , मोहित प्रकाशन, नई दिल्ली के बीच वकास कार्यक्रम और सामाजिक परिवर्तन ।
9. सुरेश के शर्मा (2010), “ट्राइब्स बाय द एज“, वस्ता इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
10. पीके भौ मक (2005), “आदिवासी और सतत वकास“, कल्पना प्रकाशन, नई दिल्ली।